न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आर० एम० वाद सं०–...02.../20.18..

धारा–242 छो०का०अधि०

गंभीर सिंह मुण्डा..अर्जीकार

बनाम

बुटन सिंह मुण्डा एवं अन्य..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
17.07.18	अर्जीकार–गंभीर सिंह मुण्डा, पिता–स्व० हरे कृष्ण सिंह मुण्डा, जाति–मुण्डा, ग्राम–उलीलोहर, थाना–तमाड़, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची के द्वारा आवेदन दिया गया है कि प्रतिवादी–(1)बुटन सिंह मुण्डा पिता–स्व० गोविन्द सिंह मुण्डा (2)कन्हाई सिंह मुण्डा, पिता–बुटन सिंह मुण्डा, (3)दीपक सिंह मुण्डा पिता–बोका सिंह मुण्डा, सभी ग्राम–उलीलोहर, जाति–मुण्डा थाना–तमाड़, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची के द्वारा निम्न जमीन को छल प्रपंज वो अवैध रूप से कब्जा किये हैं। जमीन का विवरण मौजा: उलीलोहर; थाना/थाना सं०: तमाड़/206; खाता सं०: 308; प्लॉट सं०: 2000 – रकवा: 0.37 डी० मध्ये 9 डी०; प्लॉट सं०: 2012 – रकवा: 0.04 डी० मध्ये 0.02 डी० अर्जीकार ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि को धारा–242 छो०का०अधि० के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर जमीन को वापस दिलाया जाय। आवेदन पंजीकृत कर अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें एवं उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–...21/08/18... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 17/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू। — 17/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू।	
21/08/18	दिनांक 18/09/2018 को रखें।	

अनुसूची 14 – फारम सं० 563
Schedule-14 Form No.-563

आदेश की क्रमाक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
08.03.2022	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से हाजरी दी गई। वाद में आवेदक लगातार अनुपस्थित है। प्रतीत होता है कि वाद में आवेदक को कोई अभिरुचि नहीं है और न ही इनके द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कोई पैरवी ही किया जा रहा है। अतः वाद में अभिलेख की कार्यवाही को बंद किया जाता है। 08/03 भूमि सुधार उपसमाहर्ता बुण्डू (राँची)	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.04.02 13:00:34 +05:30
Location: 10.93.79.7